झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0(झास्कोफिश) की उप–विधियों का *हिन्दी रुपान्तरण*

निबंधन सं0 – 17 / एच0 क्यू0 आर0 दिनांक – 29.11.2008

1. नाम एवं पता – झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम (1935 का एक्ट – VI) के तहत निबंधित इस समिति का नाम झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0, रॉची संक्षिप्त नाम **झास्कोफिश** रहेगा तथा इसका निबंधित कार्यालय, रॉची में रहेगा। भविष्य में इस उप विधि में इसे संघ के नाम से जाना जायेगा।
   समिति के पता परिवर्तन होने की स्थिति में 15 दिनों के अन्दर निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड तथा वित्त प्रदान करने वाले बैंक, यदि कोई हो तो, को इसकी सूचना दी जायेगी।

2. कार्यक्षेत्र – इस संघ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा । संघ निबंधक सहयेाग समितियॉ, झारखण्ड की पूर्वानुमति से राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शाखाएँ खोल सकता है।

3. परिभाषाएँ – इन उप विधियों में –
   (क) 'अधिनियम' से अभिप्राय झारखण्ड सहकारिता अधिनियम 1935 तथा समय–समय पर उसमें किये गये संशोधन से है।
   (ख) 'संघ'' से अभिप्राय झारखण्ड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लि0 से है।
   (ग) 'बोड ै' का अर्थ निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) जो इन उप विधियों के तहत् गठित होगा से है।
   (घ) 'संघ' के सदस्य से अभिप्राय संघ के ष्शेयर धारकों से है।
   (ड) 'निबंधक' का अर्थ निबंधक सहयोग समितियॉ, झारखण्ड से है।
   (च) 'नियम' से अभिप्राय सहकारिता अधिनियम के तहत् सन्निहित नियमों से है जो समय–समय पर लागू रहते है।
   (छ) 'समिति' से अभिप्राय सहकारिता अधिनियम के तहत् निबंधित समिति से है।

4. उद्देश्य – संघ का मूल उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों जैसे मत्स्योत्पादन तथा इससे संबंधित गतिविधियॉ तथा अन्य जलीय उत्पादों के उत्पादन से सहकारिता के माध्यम से वृद्वि करना जैसे –

   (क) राज्य के लघु, मध्यम तथा वृहत जलाशयों तथा राजस्व तालाबों का सीधे अथवा मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से प्रबन्धन करना ।
   (ख) मत्स्यपालन से संबंधित गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिये मत्स्य जीवी सहयोग समितियों को वित्त प्रदत करना।
   (ग) मछली तथा अन्य जलीय उत्पादों के प्रीजरवेशन (संधारण) में सहायता प्रदान करना
   (घ) मछली तथा अन्य जलीय उत्पादों के सरकारी अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से विपण्न में सहायता करना ।
   (ड) सभी प्रकार के जलक्षेत्रों से मछली तथा अन्य जलीय उत्पादों के उत्पादन में वृद्वि लाने के लिये सहायता करना ।
   (च) मछली तथा अन्य जलीय उत्पादों के क्रय तथा विक्रय से संबंधित सभी प्रकार निविदा अथवा विनिमय में भाग लेना ।
   (छ) संघ के हित में किसी अन्य सहकारी समिति के शेयर या हिस्सा पूँजी का क्रय करना।
   (ज) संघ के सदस्य समितियों के हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्य करना ।
   (झ) सदस्य समितियों के सदस्यों के बीच बचत, स्वयं सहायता तथा सहकारिता को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों के बीच सहकारिता तथा उध्यमिता के विचार धारा को प्रोत्साहित करना ।
   (ञ) समितियों के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
   (ट) समितियों के सदस्यों को मत्स्यपालन से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे – रंगीन मछलीपालन, मोती पालन, पेन कल्चर, केज कल्चर, जाल बुनाई, नाव निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य आहार उत्पादन आदि कार्यो को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना सहयोग प्रदान करना तथा अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
   (ठ) सदस्यों को जलाशय में शिकारमाही करने के लिये नाव तथा जाल के अधिग्रहण में सहयोग प्रदान करना।
   (ड) मछुआरों के कल्याण के लिये चलाई जाने वाली योजनाओं यथा मछुआ आवास, चापाकल अधिष्ठापन–सामुदायिक भवन निर्माण, सामूहिक बीमा, बचत–सह– राहत योजना, इत्यादि को कार्यान्वित करना।
   (ढ़) संघ के उपरोक्त हितों की पूर्ति के लिये ऐसे सभी प्रकार के कार्य करना जो समय के अनुसार आवश्यक है।

5. हिस्सा पूँजी –
   क. संघ का प्राधिकृत हिस्सा पूँजी मो0 50,00,000,00.00 (पचास करोड़) रूपये की होगी जो मो0 5000/– (पॉच हजार) रूपये के एक लाख (1,00,000) शेयरों में विभक्त रहेगी। प्रत्येक शेयर की राशि को एक अथवा संघ के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित किस्तों में किया जायेगा।
   ख. प्रत्येक सदस्य प्रवेश के समय मो0 500/– (पॉच सौ) रूपये का भुगतान करेंगे।
   ग. राज्य सरकार संघ के हिस्सा पूँजी में कोई भी राशि जमा कर सकता है।
   घ. संघ के प्रत्येक सदस्य समिति जो जलाशयों का प्रबंन्धन करती है, को प्रत्येक सदस्य से प्रति क्वींटल मछली अथवा अन्य जलीय उत्पाद पर 50.00 (पचास) रूपया जमा लेगी तथा उक्त राशि का 75 प्रतिशत राशि संघ के हिस्सा पूँजी के खाते में जमा करेगी।

6. निधि :–
संघ निम्न प्रकार से निधि का संग्रहण कर सकता है –
क. हिस्सा जारी करके
ख. सदस्यों से रूपया जमा करके
ग. कर्ज लेकर
घ अनुदान प्राप्त कर
ड. प्रवेश शुल्क द्वारा
च. अन्य तरीके से

7. कर्ज लेने का हद – संघ का बाहरी दायित्व चुकाई गई हिस्सा – पूँजी के तीन गुना से अधिक नहीं होगी । इससे अधिक कर्ज लेने के लिये निबंधक, सहयोग समितियॉ की अनुमति आवश्यक होगी।

8. सदस्यता – संघ के सदस्यता के लिये निम्नलिखित सक्षम होगे –
क. मत्स्यजीवी सहयोग समिति
ख. स्वावलम्बी सहकारी मत्स्यजीवी सहयोग समिति
ग. झारखण्ड सरकार, तथा
घ. निबंधक सहयोग समितियॉ के अनुमति से अन्य कोई भी साविधिक संस्था

9. संघ की सदस्यता –
उपरोक्त कंडिका के अतिरिक्त निदेशक मण्डल उप विधियों के अनुरूप जिन्हें सदस्य बनायें।

10. सदस्यता की समाप्ति –
संघ के साथ संबद्व समिति की सदस्यता निम्न स्थितियों से समाप्त हो जायेगी –
क. उसे निष्कासित कर दिया जाय।
ख. वह अर्हता को पूरा नहीं कर सके अथवा
ग. वह दिवालिया हो जाय।

11. सदस्य का निलंबन या निष्कासन –
क. संघ का निदेशक मण्डल किसी भी समिति को निम्न कारणों से निलंम्बित या निष्कासित कर सकती है –
I. लापरवाही या खराब कार्य कलाप की स्थिति में,
II. संघ की उप विधियों अथवा समय–समय पर बनाये गये नियमों का जान – बूझ कर उलंघन करने पर, अथवा
III. संघ के हित के विरूद्व जान – बूझ का कार्य करने पर।
ख. निलंबन तथा निष्कासन की सभी मामालो को संपुष्टि के लिये आम सभा की अगली बैठक में रखा जायेगा। जो आम सभा की बैठक में सम्पुष्टि के 30 दिनों के अंदर निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड को अपील दायर किया जा सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

12. हिस्सा की वापसी –
हिस्सा के भुगतान के अतिरिक्त अन्य मामलों में निष्कासित किये गये सदस्य के सदस्यता समाप्त होने के छः माह के अन्दर उसके हिस्से की वास्तविक कीमत में से सदस्य के उपर बकाया को घटा कर भुगतान कर दिया जायेगा। यदि समिति दिवालिया होती है तो वैसी परिस्थति में राशि का भुगतान लिक्वीडेटर अथवा जिसके पास समिति की सम्पति सुरक्षित रहेगा को किया जायेगा।

13. शेयरों का हस्तान्तरण –
निदेशक मण्डल के अनुमति से किसी सदस्य या सदस्य समिति को, जो प्रवेश के लिये उपयुक्त हो अथवा जिसे निदेशक मण्डल सदस्य बनाना चाहती हो, उसे स्थानान्तरित किया जा सकता है, परन्तु शेयर स्थानान्तरण से पूर्व 12 माह तक संघ में रहना चाहिऍ।

14. शेयर प्रमाण पत्र – सभी शेयरधारक संघ के मुहर के साथ उनके पास के शेयरों के संबंध में एक प्रमाण–पत्र के हकदार होगे। यदि उक्त प्रमाण पत्र खो जाता है तो उसे 5/– रू0 के भुगतान पर पुनः पुनर्जीवित किया जा सकता है।

15. देनदारियॉ –
(क) संघ के सदस्यों की संघ के लिये उतने पूँजी के वास्तविक मूल्य (फेस वैल्यू) के बराबर तक ही होगा।
(ख) भूतपूर्व सदस्य की देनदारी अंश 'क' में उल्लिखित राशि तक अथवा सदस्यता समाप्त होने के 2 वर्ष बाद तक रहेगी।

16. आम सभा – संघ का सर्वोच्च अधिकार आम सभा के हाथें में होगा। आम सभा में निम्नलिखित व्यक्ति भाग ले सकेगें –

क. प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि जो इस कार्य के लिये समिति में संसूचित तथा निर्वाचित किया जाएगा।

ख. राज्य सरकार का प्रतिनिधि।

17. आम सभा की बैठक –

आम सभा की बैठक तीन प्रकार की होगी –

(क) साधारण (वार्षिक) आम सभा की बैंठक

(ख) असाधारण आम सभा की बैठक

(ग) विशेष आम सभा की बैठक

आम सभा समिति संघ के कार्यालयों विशेष रूप से निदेशक मण्डल के कार्यालय का निरीक्षण करेगी तथा आवश्यकता अनुसार संघ के हित में आवश्यक निर्णय लेगी।

18. वार्षिक आम सभा – संघ की वार्षिक आम सभा सहकारिता वर्ष समाप्त होने के छः माह के अन्दर होगी।

वार्षिक आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे –

i. निदेशक मण्डल के द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा प्रतिवेदन की जॉच करना तथा गत वर्ष के संघ के कार्यो की समीक्षा करना।

ii. संघ के पदाधिकारियों के कार्यकलापों की समीक्षा करना तथा निदेशक मण्डल के निर्णयों के संबंध में अपीलों की सुनवाई करना तथा उसका निष्पादन करना।

iii. आगामी साल में अधिक से अधिक उप विधि 6 की शतों के अधीन कितनी रकम कर्ज लिया– दिया जाय।

iv. संघ के वित्तीय मामलें से संबंधित सभी प्रकार के मामलों में संज्ञान लेना ।

v. किसी भी ऐसे कार्य को करना जो सभी के सामने निदेशक मण्डल द्वारा उपस्थापित किया जाय।

19. आसाधारण आम सभा –

i. असाधारण आम सभा की बैठक कभी–भी निदेशक मण्डल के द्वारा अथवा कुल सदस्यों के 1/10 वें हिस्से के लिखित आवेदन पर एक माह के भीतर बुलाई जा सकती है।

ii. इस प्रकार के आम सभा के स्थान, समय तथा तिथि की सूचना तथा उसमे विचार हेतु रखे जाने वाले विषय की सूचना बैठक के दस दिन पूर्व सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

20. विशेष आम सभा –

(क) निबंधक, सहयोग समितियॉ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर विशेष आम सभा संघ के मुख्यालय में कराई जायेगी। यह सभा आवेदन में लिखित समय तथा तिथि पर आवेदन में उल्लेखित विषय पर विचारार्थ किया जाएगा।

(ख) विशेष आम सभा निदेशक मंडल के सदस्यों संघ के पदाधिकारियों तथा संघ के प्रतिनिधियों के लिये झारखण्ड सहकारिता अधिनियम 1959 की धारा 21–B तथा 21–X के अनुसार कराई जायेगी।

21. कोरम – आसाधारण आम सभा के 1/5 वें सदस्य से कोरम पूरा हो जायेगा । यदि निश्चित समय के एक घंटे के भीतर अगर कोरम पूरा न हो तो चेयरमैन इसे भंग कर देंगे और अगर दूसरी तरह बुलाई गई है तो इसे किसी दूसरे दिन के लिये जो कम से कम सात दिन और अधिक से अधिक 15 दिन के बाद नहीं होगी, स्थगित कर देंगे। इस स्थगित बैठक में केवल वही बाते विचारणीय होंगी जो कि पहले दिन में लिये गये निश्चत थी । अगर इस स्थगित आम सभा में भी कोरम पूरा नहीं होगा तो प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत के स्वीकृत होगा।

22. प्रबन्धन –

(क) संघ का कार्य कलाप के प्रबन्धन की जिम्मेवारी एक निदेशक मण्डल में निहित रहेगा जिसके 23 सदस्य होगें। निरदेशक मंडल निम्न प्रकार से गठित होगा –

i. सचिव, मत्स्य विभाग, झारखण्ड – अध्यक्ष (चेयरमैन)

ii. सचिव, कल्यण विभाग, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि – निदेशक

iii. निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि– निदेशक

iv. प्रबन्ध निदेशक – जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य मत्स्य सेवा से नियुक्त किये जायेंगे – निदेशक

v. प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक, झारखण्ड, – निदेशक

vi. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि सदस्य – निदेशक

vii. निदेशक मत्स्य, झारखण्ड – निदेशक

viii. उद्योग विभाग , झारखण्ड का एक प्रतिनिधि – निदेशक

ix. सचिव, सिंचाई विभाग, झारखण्ड या उनके प्रतिनिधि – निदेशक

x. 10 निदेशक संघ से संबद्व समितियों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचित किये जायेगें, जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंने चाहिए।

xi. 4 निदेशक राज्य सरकार के द्वारा संबद्व समितियों के प्रतिनिधियों में से नामित किये जायेंगे, जससे मत्स्य पालकों के हित की रक्षा हो। इसमे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) प्रथम निदेशक मण्डल का गठन राज्य सरकार के द्वारा तीन वर्षो के लिए किया जायेगा।

(ग) निम्न परिस्थितियों में निदेशक मण्डल के सदस्य की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जायेगी।

i. यदि उस समति की सदस्यता जिसका वह प्रतिनिधि है संघ के उपविधि की धारा –10 के तहत समाप्त हो जाती है, या

ii. यदि वह समिति एक सदस्य समिति नहीं रहती है, या

iii. यदि वह लिखित त्याग पत्र देता है जो निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, या

iv. यदि वह नियमों तथा प्रावधानों के तहत अर्हता पूरा नहीं करता हो, या

v. यदि वह बिना निदेशक मण्डल के अनुमति के लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित रहता है तथा उसकी अनुपस्थिति को निदेशक मण्डल के द्वारा माफ नहीं किया जाए।

vi. राज्य सरकार को किसी भी निदेशक की सदस्यता को समाप्त कर नये सदस्य की नियुक्ति का अधिकार रहेगा।

23. (क) निदेशक मण्डल प्रत्येक माह अथवा कार्य की आवश्यकता को देखते हुए बैठक करेगी। बैठक के लिये सदस्यों का कोरम बारह (12) का होगा।

(ख) यदि कोई निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो निदेशक मण्डल उसके स्थान पर अगले आम सभी की बैठक तक किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति करेंगा। सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य की सूची में रिक्ति की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नये सदस्य को मनोनीत किया जायेगा। निदेशक मंडल की सदस्यता के लिये कोई बकायेदार समिति सक्षम नहीं होगा। यदि वह निर्वाचन के उपरान्त बकायेदार होता है तो उसे निदेशक मण्डल से निष्कासित कर दिया जायेगा।

(ग) प्रबन्ध निदेशक के द्वारा एक कार्यवाही पुस्तिका का संधारण किया जायेगा जिसमें उपस्थित सदस्यों का नाम तथा प्रत्येक बैठक की कार्यवाही दर्ज की जायेगी। किसी ऐसे विषय के प्रस्ताव पर जिसका संबंध आर्थिक लेन देन से है, हर उपस्थित सदस्य की वोटिंग चाहे वह बैंठक के समर्थन में हो या उसके प्रतिकूल हो दर्ज की जायेगी जो सदस्यों के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

24. कोई सदस्य तब तक संघ के ऐसे बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित पर विचार किया जाना है अथवा उसी के आचरण पर उसके संबंध में विचार विर्मश किया जा रहा हो, जबतक चेयरमैन की पूर्वानुमति प्राप्त नही कर ली गई है।

25. उप विधियों तथा आम समय में पारित प्रस्तावों द्वारा दिये जाने वाले साधारण अख्तियारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हुए निम्नलिखित अख्तियार और अधिकार स्पष्ट रूप से निदेशक मण्डल को दिये जाते है–

(क) संघ के समितियों के द्वारा मछली क्रय की व्यवस्था करना।

(ख) संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिय प्रभावकारी परिवहन की व्यवस्था करना।

(ग) मछलियों के त्वरित प्रसंस्करण के लिये प्रभावकारी तंत्र की व्यवस्था करना।

(घ) मछलियों की बिक्री सीधे अथवा सरकारी एजेन्सी के माध्यम से करने की व्यवस्था करना।

(ड) मत्स्य उत्पादकों को समुचित मूल्य दिलाना।

(च) समितियों की वित्त प्रदान करना तथा उन्हें दिये जाने वाले कमीशन का दर तय करना।

(छ) मछलियों के समुचित भंडारण की व्यवस्था तथा भंडार पंजी का संधारण करना।

(ज) सभी प्रकार की प्रशासनिक शक्ति जैसे – संघ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सजा देना जो राज्य सरकार तथा निबंधन सहयोग समितियॉ, झारखण्ड के द्वारा समय –समय पर निर्गत अनुदेशो पर आधारित रहेगे तथा सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी घोषित नहीं होंगे। राज्य सरकार के द्वारा उपरोक्त के अनुपालन में होने वाले आवश्यक या अनावश्यक देनदारी की जिम्मेवारी नहीं रहेगी।

(झ) संघ के पंजियों एवं दस्तावेजों की जॉच करना।

(ञ) वार्षिक लेखा तैयार करना

(ट) निधि एकत्र करना

(ठ) संघ की ओर से कानूनी कार्रवाई करना अथवा समझौता करना

(ड) संघ के सामान्य कार्य कलापों का निष्पादन करना

(ढ़) सचिव, कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों के कर्तव्य का निर्धारण करना।

(ण) झारखण्ड सहकारिता अधिनियम 1935 (एक्ट iv) के नियमों के तहत संघ के किसी मामलें के संबंध में नियम बनाना।

(प) संघ के सदस्य अथवा ऐसे व्यक्ति जो संबंधित कार्य में अनुभव प्राप्त हो, को लेकर समय–समय पर एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन कराना तथा उसके कार्यकलाप तथा अधिकारो का निर्धारण करना, जो संघ के हित में आवश्यक हो ।

(फ) मछली के गुणवत्ता तथा मूल्य तथा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियोँ के विरूद्व शिकायत सुनना तथा उन पर विचार करना।

26. प्रबन्ध निदेशक – संघ के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य मत्स्य सेवा के किसी पदाधिकारी में से उन नियमों के अंतर्गत की जायेगी जो सरकार आवश्यक या उचित समझे। प्रबन्ध निदेशक संघ के प्रतिदिन के कार्यकलाप के लिये मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होगें तथा संघ के निदेशक मंडल के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में कार्य करेंगें।

27. प्रबन्ध निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार – प्रबन्ध निदेशक संघ के निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी होगें वह संघ के कार्यकारी प्रशासन के जिम्मेवार होंगे। वह संघ की ओर से वादी तथा प्रतिवादी का कार्य करेंगे। संघ के ओर से किसी बॉण्ड तथा कानूनी दस्तावेज उनके द्वारा निष्पादित किये जायेंगे । वे निदेशक मंडल के द्वारा समय – समय पर दिये गये अन्य कार्यो को भी निष्पादित करेंगे तथा उन्हें निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य रहेंगे –

i. संघ के सभी मामलों में मार्गदर्शन देना तथा पर्यवेक्षण करना।
ii. संघ के प्रशासन पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना।
iii. राज्य सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त या कर्मचारियों से अथवा संघ के सभी स्वीकृत पदो ंके विरूद्व नियमो के अनुसार वेतन सहित कर्मचारियेां की नियुक्ति करना।
iv. मछली की विपणन के लिये आवश्यक आकस्मिक कर्मचारियों की समय–समय पर नियुक्ति करना तथा उनकी सेवा समाप्त करना यदि वे नियम 33 के अधीन नियुक्त नहीं हो।
v. निदेशक मंडल के अनुदेशों को छोड़कर संघ कर्मचारियों/ पदाधिकारियेां को निलबित, सेवामुक्त करना, दण्ड लगाना अथवा सजा देने का अधिकार।
vi. संघ के कर्मचारियें/ पदाधिकारियों की छुटी तथा वार्षिक वेतन वृद्वि संधारित करना।
vii. संघ के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियें/ पदाधिकारियों के द्वारा दिये जाने वाले वाली सिक्यूरिटी की राशि निर्धारित करना यदि कोई एक्ट नहीं हो तो।
viii. निदेशक मण्डल अथवा चेयरमैन के द्वारा समय – समय पर दिये गये अन्य कार्यो का निष्पादन करना।
ix. उपविधियेां के अतिरिक्त सभा, गोष्ठियॉ, सेमिनार इत्यादि में भाग लेने के लिए पदाधिकारियों को प्राधिकृत करना।
x. संघ की ओर से सभी प्रकार के पत्राचार करना तथा दैनिक कार्य करना।
xi. संघ के कर्मियों का कर्तवय तथा अधिकार का निर्धारण करना तथा उनसे कर्तव्यों का निष्पादन करना।
xii. निदेशक मंडल के निर्णय की अपेक्षा करते हुए ऐसे मामलों में निर्णय लेना तथा चेयरमैन को उसकी जानकारी देते हुए निदेशक मंडल की अगली बैठक रखना।

28. जमा राशि – संघ निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों पर तथा दर पर जमा राशि ले सकती है। जिसका दर प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

29. पंजी तथा लेखा –

संघ के द्वारा निम्नलिखित पंजी तथा लेखा का संधारण किया जायेगा –

(क) एक सदस्यों की पंजी
(ख) एक शेयरों की पंजी
(ग) आम सभा की बैंठक एवं कार्यवाही की पंजी
(घ) निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही पंजी
(ड) रोकड़ वही
(च) लेजर वही
(छ) भंडार पंजी
(ज) निदेशक मंडल द्वारा निदेशित अन्य आवश्यक पंजी।

30. अंकेक्षण – संघ का लेखा प्रतिवर्ष 31 मार्च को बन्द हो जायेगा साथ ही विधिक अंकेक्षण सरकारी अधिनियम 1938 (vi/1935) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत गठित नियमों के तहत की जायेगी।

31. लाभ का बॅटवारा – स्थापना के व्यय तथा संघ के प्रबन्धन के लिये आवश्यक भुगतान के अतिरिक्त संघ के शुद्व लाभ निम्न तरीके से बटेंगे –

क. 35 प्रति सैकड़ा सुरक्षित निधि में
ख. 10 प्रति सैकड़ा तक डूबने वाले कर्ज में जमा होगा।
ग. 10 प्रति सैकड़ा तक समितियों के कल्याण के निधि में जमा किया जा सकता है।
घ. 10 प्रति सैकड़ा तक डिविडेन्ड देने में खर्च किया जा सकता है।
ड. 10 प्रति सैकड़ा या उससे अधिक भवन निधि में।
च. 10 प्रति सैकड़ा संघ के विकास निधि में।

छ. 10 प्रति सैकड़ा या निबंधक द्वारा निर्धारित राशि सदस्यों के शेयरों के अंतिम भुगतान के लिये जो एक वर्ष तक संघ में रहेगा।

ज. कर्मचारियों के बोनस पर जो आम सभा द्वारा तय की जायेगी तथा जो दो माह के वेतनादि से अधिक नही होगी।

झ. शेष अगले साल के खाते में जमा करने के लिए।

32. सुरक्षित निधि – संघ के एक सुरक्षित निधि होगी जिसमें निम्नलिखत राशि रहेगी –

क. संघ के लाभ का 35 प्रति सैकड़ा राशि।

ख लाभ के द्वारा प्राप्त अन्य राशि।

ग. प्रवेश शुल्क संघ के गठन में लगी राशि को घटा कर

घ. सभी जब्त हुए हिस्से की राशि

33 सुरक्षित निधि संघ की होगी और इसका बॅटवारा नहीं होगा तथा इसमें किसी खास हिस्से का अधिकारी कोई सदस्य नहीं होगा। यह संघ के आकस्मिक परिस्थिति के लिये होगा। इस निधि से निकासी निबंधक, सहयेाग समितियों के आदेश पर होगी। बिना उनके आदेश के निकासी नहीं होगी तथा उनके आदेश पर ही इसको कभी भी निवेश किया जायेगा।

34. निबंधक के आदेश से सुरक्षित निधि निम्नलिखित मामालो में लगेगी –

क. नुकसान को पूरा करने में, पर बाद के मुनाफे सें यह रकम पूरा वसूल होगी।

ख. संघ की किसी ऐसी देन को देने में जो दूसरी तरफ से नहीं दिला सकें लेकिन फिर नइ वसूली होगी तो यह रकम चुकता हो जायेगी और

ग. जो संघ कर्ज लें उसकी जमानत मे।

संघ के विघटन की स्थिति में सुरक्षित निधि सहकारिता गतिविधि के लाभ के उद्देश्य से ऐसे कार्य में लगाया जायेगा जो सदस्य बहुमत से निर्णय ले तथा उस पर निबंधक की सहमति प्राप्त हो।

35. विवाद – यदि कोई विवाद निदेशक मंडल की आम सभा में निष्पादित नहीं होती है तो उसे निबंधक के पास भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

36. संघ का विघटन – संघ का विघटन या किसी अन्य संघ में संविलयन निबंधक की स्वीकृति से और इसके लिये बुलाये गये विशेष आम –सभा में 3/4 सदस्यों के बहुमत से वोट के द्वारा हो सकता है।

37. विविध :–

सभी शेयर धारकों को इस उप विधि की एक प्रति दी जायेगी।

38. इन उप विधियों में किसी प्रकार का संशोधन या नये उप विधि का गठन आम सभा में किया जायेगा। परन्तु वह तब तक लागू नहीं होगा जबतक कि निबंधक की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाये तथा वह इसे अपने पंजी में संधारित न कर ले, साथ ही यदि कोई अतिरिक्त वित्तीय देनदारी संघ के उप विधियों में संशोधन के करण उत्पन्न होती है तो इसे भी राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से दर्ज किया जाएगा। संघ अपने श्रोतों को विकसित कर उक्त देनदारी का वहन करेगी।

39. संघ झारखण्ड सहकारिता अधिनियम 1935(vi / 1935) की एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगी जिसे कार्य अवधि में सदस्य देख सकेंगे।

40. सभी ऐसी बातों जिनका इन उपविधियों में उल्लेख नहीं है, झारखण्ड सहकारिता अधिनियम 1935 (vi/ 1935) के द्वारा तथा उसके तहत नियमों के अधीन निष्पादित किया जायेगा।

सदस्यों का हस्ताक्षर